

बिहार सरकार
राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं०-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं०-06/रा०आ०नि०-01/2019-...

833/आ.नि.१

दिनांक 29 मई 2020

प्रेषक,

डॉ० शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
-सह-जिला अपर आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन),
मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी,
वैशाली (हाजीपुर) एवं शिवहर (तिरहुत प्रमण्डल)।

विषय :-

कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Zoom App) के माध्यम से राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा दिव्यांगजनों के लिए दि०-11.06.2020 (गुरुवार) को तिरहुत प्रमण्डल से सम्बन्धित शिकायतों की ऑनलाईन लोक अदालत के तहत सुनवाई के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-

- (1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
- (2) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड19 की वजह से उत्पन्न आपातकालीन स्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए दिनांक-26 मार्च, 2020 को जारी व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश।
- (3) मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार का पत्र सं०-16-3/सी०सी०डी०/2018 दि०-31.03.2020
- (4) इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक-762/आ०नि०को० दि०-21.04.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ प्रदान करते हुए आपका ध्यान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड19 (COVID-19) के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्वास्थ्य स्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए दिनांक-26 मार्च 2020 को जारी किए गए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देशों एवं इसी संदर्भ में मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों को प्रेषित पत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। विदित हो कि भारत सरकार ने कोविड19 (COVID-19) से उत्पन्न स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि उक्त व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश इस आपदा स्थिति में दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक, संवेदी और ज्ञान संबंधी सीमाओं के कारण प्रभावित होने की अपेक्षाकृत अधिक संभावना के आलोक में उनकी सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों को संकट की अवधि के दौरान दिव्यांगता के विशिष्ट मामलों को हल करने के लिए प्रभार सौंपा गया है।

उपर्युक्त संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में पत्रांक-744 दिनांक-24.03.2020 तथा पत्रांक-748 दिनांक-07.04.2020 भी प्रेषित करते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस अवधि के दौरान लगातार विविध स्तरों/विषयों/विषय विशेषज्ञों/प्रशासनिक स्तरों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में विशिष्ट मामलों को हल किए जाने का प्रयास किया गया है। बिहार के विभिन्न हिस्सों से हेल्पलाइन नं०-8448-385590, ई-मेल, फोन, मोबाइल मैसेज एवं ब्हास्टऐप इत्यादि के माध्यम से सैंकड़ों की संख्या में राशन, पेंशन, पुनर्वास एवं अन्य से सम्बन्धित दिव्यांगजनों की प्राप्त शिकायतों की निष्पादन हेतु दिनांक-25.04.2020, समय पूर्वा० 11:00 बजे से अप० 02:00 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा दिव्यांगजनों के लिए राज्य स्तर पर ऑनलाईन लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसके अन्तर्गत दिव्यांगजनों की चार सौ (400) से अधिक शिकायतों का निष्पादन करते हुए सम्बन्धित सक्षम क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये हैं।

क०प०उ०.....


संपादित विविध वीडियो कॉफ्रेंसिंग, दूरभाष माध्यम से कार्यालय के टेलीफोन व अधोहस्ताक्षरी के मोबाइल व कार्यालय के हेल्पलाइन नम्बर पर वर्तमान में भी प्राप्त हो रही विविध शिकायतों पर सम्यक विचारोंपरांत अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोविड19 (COVID-19) की वजह से वर्तमान में जारी लॉकडाउन अवधि के दौरान दिव्यांगजनों से सम्बद्ध विशिष्ट मामलों से सम्बन्धित शिकायतों के सम्यक निष्पादन हेतु वीडियो कॉफ्रेंसिंग माध्यम से प्रमण्डलवार ऑनलाईन लोक अदालत के तहत सुनवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्राप्त शिकायतों की प्रमण्डलवार संख्या के आधार पर मंगल प्रमण्डल में दिनांक-13.05.2020, मुंगेर प्रमण्डल में दिनांक-21.05.2020 एवं सारण प्रमण्डल में दिनांक-29.05.2020 को ऑनलाईन लोक अदालत का आयोजन किया गया।

प्रमण्डलवार ऑनलाईन लोक अदालत के तहत सुनवाई के क्रम में तिरहुत प्रमण्डल से सम्बन्धित शिकायतों की सुनवाई हेतु ऑनलाईन लोक अदालत की तिथि दिनांक-11.06.2020 (गुरुवार), समय पूर्वा 11:00 बजे से अपरा 02:00 बजे तक निर्धारित की जा रही है। इस प्रमण्डलवार ऑनलाईन लोक अदालत की प्रक्रिया भी इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक-762/ आ0नि0को0 दि0-21.04.2020 के तहत दि0-25.04.2020 को आयोजित राज्य स्तरीय लोक अदालत अनुरूप ही होगी तथा पूर्व की भांति इस सुनवाई के दौरान दिव्यांगजन निम्न प्रक्रियानुरूप अपनी शिकायत वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे।

- (1) दिव्यांगजन/दिव्यांगजन संघ इस कार्यालय के Website scdisabilities.org के मुख्य पृष्ठ पर निर्मित **Dedicated Link** के माध्यम से ऑनलाईन लोक अदालतों हेतु यथा आवश्यक विवरण दर्ज करते हुए भी रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं।
- (2) दिव्यांगजन/दिव्यांगजन संघ लिखित शिकायत की प्रति संलग्न करते हुए अपने मोबाइल नम्बर के माध्यम से कार्यालय के ई-मेल scdisability2008@gmail.com अथवा अधोहस्ताक्षरी के बहाटस्टेप नम्बर 9431015499 पर रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आवेदन करेंगे।
- (3) सुनवाई की निर्धारित तिथि को नियत समय से पूर्व उन्हें अधोहस्ताक्षरी से जुड़ने के लिए आवश्यक कोड विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।
- (4) सुनवाई के दौरान दिव्यांगजन व्यक्तिगत रूप से अपनी शिकायत अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकेंगे एवं इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की पृच्छा का जबाव दे सकेंगे।

दिव्यांगजनों के लिए वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पादित किये जाने वाले उक्त लोक अदालत में प्रत्येक जिले के सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग अपने जिले के सम्बन्ध में नोडल पदाधिकारी के रूप में भाग लेंगे।

अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पदाधिकारियों को अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।


विश्वासभाजन

 28.05.20
 राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
 बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-.....

833/आ.नि.को

दिनांक 29 मई 2020

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
 अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को उक्त के अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।



 28.05.20
 राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
 बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-.....

833/आ.नि.को

दिनांक 29 मई 2020

प्रतिलिपि:-तिरहुत प्रमण्डल के सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली (हाजीपुर) एवं शिवहर को दिव्यांगजनों के लिए वीडियो कॉफ्रेंसिंग (Zoom App) के माध्यम से सम्पादित किये जाने वाले उक्त लोक अदालत में भाग लेने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


 28.05.20
 राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
 बिहार, पटना।

कृ0पृ030.....

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-.....

833/आ.नि.क्रो

दिनांक- 29 मई 2020

प्रतिलिपि:-तिरहुत प्रमण्डल के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली (हाजीपुर) एवं शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित।

29.05.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-.....

833/आ.नि.क्रो

दिनांक- 29 मई 2020

प्रतिलिपि:-तिरहुत प्रमण्डल के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली (हाजीपुर) एवं शिवहर को सूचनार्थ एवं पत्र में वर्णित दिशानिर्देश बिन्दुओं के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.05.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-.....

833/आ.नि.क्रो

दिनांक- 29 मई 2020

प्रतिलिपि:-दिव्यांगता प्रक्षेत्र कार्यरत व इस कार्यालय द्वारा पंजीकृत गैरसरकारी स्वयंसेवी संगठन को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिव्यांगजनों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Zoom App) के माध्यम से सम्पादित किये जाने वाले उक्त लोक अदालत के दौरान अपने मामले की सुनवाई हेतु परिवादी दिव्यांगजनों को, यदि कोई हो, इस सम्बन्ध में जागरूक करने की कृपा करें।

29.05.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-.....

833/आ.नि.क्रो

दिनांक- 29 मई 2020

प्रतिलिपि:-विविध स्तरीय दिव्यांगजन समूहों एवं जिला दिव्यांगजन अभिभावक समूहों के प्रतिनिधि तथा दिव्यांगजन को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिव्यांगजनों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Zoom App) के माध्यम से सम्पादित किये जाने वाले उक्त लोक अदालत के दौरान अपने मामले की सुनवाई हेतु परिवादी दिव्यांगजनों को, यदि कोई हो, इस सम्बन्ध में जागरूक करने की कृपा करें।

29.05.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-.....

833/आ.नि.क्रो

दिनांक- 29 मई 2020

प्रतिलिपि:-निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को उक्त के अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।

29.05.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-.....

833/आ.नि.क्रो

दिनांक- 29 मई 2020

प्रतिलिपि:-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को उक्त के अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।

29.05.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०.....


(4)

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-.....

833/आ.17के

दिनांक 29 मई 2020

प्रतिलिपि:-सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को उक्त के अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।


29.05.20


राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-.....

833/आ.17के

दिनांक 29 मई 2020

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


29.05.20


राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-.....

833/आ.17के

दिनांक 29 मई 2020

प्रतिलिपि:-मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त का कार्यालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सरोजिनी हाउस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड19 के विषय में जारी व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।


29.05.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।